न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 389/2000 (61/1999)
दायर दिनांक :– 15.02.1999

अनवान

1. श्री कुन्दल मल पिता मोखम चन्द जैन नि. फलासिया तहसील जहाजपुर (मृतक)
1/1. श्री कैलाशचन्द पिता कुन्दनमल जैन नि. फलासिया तहसील जहाजपुर
1/2. श्री पारस मल पिता कुन्दनमल जैन नि. फलासिया तहसील जहाजपुर
1/3. श्री अनिल कुमार पिता कुन्दनमल जैन नि. फलासिया तहसील जहाजपुर
1/4. श्रीमति पदम देवी पत्नि कुन्दनमल जैन नि. फलासिया तहसील जहाजपुर
1/5. श्रीमति मुन्ना देवी पुत्री कुन्दनमल जैन नि. फलासिया तहसील जहाजपुर पत्नि चिरंजी लाल जैन नि. कोठिया तहसील शाहपुरा
1/6. श्रीमति गुणमाला पुत्री कुन्दलमल जैन नि. फलासिया तहसील जहाजपुर हाल पत्नि सुनिल कुमार जैन नि. पण्डेर तहसील जहाजपुर

वादीगण.....

बनाम

1. श्री हजारी पिता कल्याण धाकड नि. भगवानपुरा तहसील जहाजपुर (मृतक)
1/1. श्री सवाईराम पिता हजारी धाकड नि. सिंहाणा तहसील जहाजपुर
1/2. श्री छीतर पिता कल्याण धाकड नि. भगवानपुरा तहसील जहाजपुर (मृतक)
2/1. श्री लाला पिता छीतर धाकड नि. भगवानपुरा तहसील जहाजपुर
3. श्री बालु पिता कल्याण धाकड नि. भगवानपुरा तहसील जहाजपुर
4. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री अमित कुमार बिडला, वकील वादीगण
2. श्री जगदीश चन्द धाकड, वकील प्रतिवादीगण

:: निर्णय :: दिनांक 09.12.2019

वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की दिनांक 02.06.1971 को मुकाम जामोली पर आवंटन कमेटी के द्वारा वादी को ग्राम फलासिया की सरहद में आ.न. 861 में 3 बीघा भुमि आंवटित की गई। और आवंटन के पश्चात वादी इसी भूमि पर बहेसियत मालिक काबिज हो काश्त करता चला आ रहा हैं। दिनांक 02.06.1971 के पूर्व सन् 1963 से वादी इस भूमि पर अतिकमी की हैसियत से काश्त करता चला आ रहा था। और वादी ने काफी धन व श्रम खर्च कर भूमि को उपजाउ व उपयोगी बनाया तथा वादी का सन 1961 से भूमि पर निरन्तर कब्जा होने के कारण आवंटन कमेटी ने वादी की प्रार्थना पर घोर फरमा कर वादी को भूमि आवंटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की । दिनांक 02.06.1971 का वादी को भूमि आवंटन किये जाने के पश्चात तत्कालिन उप जिलाधीश शाहपुरा ने वादी को भूमि पैमुद कर कब्जा देने का आदेश दिनांक 20.06.1971 को दिया। जिसमे पटवारी हल्का जामोली को आदेश दिया कि पटवारी हल्का जामोली दिनांक 07.07.71 तक वादी को भूमि पैमुद कर कब्जा वादी को देवे ओर उसकी पालना में तत्कालिन पटवारी हल्का जामोली ने वादी को भुमि

पैमुद कर कब्जा सिपुर्द किया यह कब्जा वादी को पटवारी हल्का जामोली द्वारा दिनांक 16.07.76 को दिया गया। अनुसार कब्जा मौके का नक्शा बनाया गया। और वादी को जो भूमि पैमुद कर संभलाई गई उसका नम्बर 861/13 व 861/4 मीन डाला गया। आंवटन आदेश व सिपुर्दगी के प्श्चात भूमि का नामान्तरकरण भी वादी के नाम खोला गयां। जिसका नामान्तरकरण न. 190 है। वादी के नाम नामान्तरकरण खोले जाने के पश्चात भी भूमि का जमाबन्दी मे वादी के नाम इन्द्राज नही किया गया। इस कारण भूमि राजस्व अभिलेखों में बिलानाम चलती रही। ओर वादी को धारा 91 राज. ले. एक्ट के नोटिस जारी हुये इस पर दिनांक 07.12.90 को तत्कालिन तहसीलदार ने दिनांक 07.12.90 को वादी को अतिकमी नही मान बहैसियत आंवटी भूमि पर वादी का कब्जा मानते हुये अतिक्रमण की कार्यवाही निरस्त की । और राजस्व रेकार्ड में आवंटित भूमि का अमल किये जाने हेतु पटवारी हल्का जामोली को अलग से लिखे जाने का आदेश प्रदान कराया गया। परन्तु बावजुद आदेश के भूमि राजस्व अभिलेखों मे वादी के नाम पर दर्ज नही की गई। ग्राम फलासिया की सरहद में आ. न. 861 में ही नाथु पिता सांवता भाट नि. माताजी ाक खेडा को भी 3.02 बीघा भूमि आवंटन किये जाने का आदेश हुआ और उक्त आदेश की पालना में नाथु पिता सावंता भाट को 3.02 बीघा भूमि पैमुद की जाकर कब्जा दिया गया। नाथु पिता सावंता भाट को भूमि पैमुद की गई उसका नम्बर 861/6 मीन पडा ओर इसी प्रकार राजस्व भू अभिलेखों में इन्द्राज हुआ। प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने नाथु पिता सांवता भाट नि. माताली का खेडा अन्य आराजियात के साथ साथ आराजी नं. 861/6 मीन भी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रय की। और क्रय करने के पश्चात आ. न. 861/6 मीन पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 का निरप्तर कब्जा चला आ रहा हैं। तत्कालिन पटवार हल्का जामोली बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के आ.न. 861/6 मीन के स्थान पर रोटेशन की जमाबन्दी में आराजी नं. 861/6 मीन के स्थान पर 861 दर्ज कर दी और यह दाखिला सम्वत 2041 से 2042 की जमाबन्दी में आ.न. 861 रकबा 3.02 बीघा दर्ज चली रही और इसके पश्चात तत्कालीन पटवारी हल्का ने सम्वत 2044 से 2047 की जमाबन्दी में बिना किसी सक्षम अधिकरी के आदेश के आ.न. 861 के नीच 861/4 रकबा 3.02 बीघा दर्ज कर दी। तथा सम्वत 2048 से 2051 तक की रोटेशन की जमाबन्दी मे तत्कालीन पटवारी हल्का जामोली लालाराम कुमावत ने आराजी नं. 861/4 ख रकबा 3.02 बीघा दर्ज कर दी और नक्शे में भी इसी पटवारी ने वादी के अधिकारी व आधिपत्य की भूमि आ.न. 861/13 को 861/4ख कर दिया। इस प्रकार तत्कालिन पटवारी हल्का जामोली ने वादी के अधिकार व आधिपत्य की भूमि को प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम राजस्व भू अभिलेखों में दर्ज कर दी। जबकि भूमि पर वादी वर्ष 1963 से बहेसियत मालिक काबिज हो काश्त करता चला आ रहा हैं और वर्तमान में वादी ने अपने अधिकार व आधिपत्य की भूमि में चने की फसल काश्त की हैं। पटवारी हल्का के द्वारा रेकार्ड में की गई हेराफेरी की जानकारी वादी को माह अक्टुम्बर 1998 में हुई जब प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने वादी व जीतु कालु पिता रामकरण धाकड नि. अगाडिया के विरूद्व एक स्थायी निषेधाज्ञा का वाद झुठे दस्तावेजात के आधार पर न्यायालय श्रीमान के यहा पेश किया और उनकी नकले वादी को प्राप्त हुई इस पर वादी ने समस्त राजस्व अभिलेखो की नकले प्राप्त की जिस पर वादी को ज्ञान हुआ की प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने राजस्व अधिकारियों से मिल कर वादी के अधिकार व आधिपत्य की भूमि को जबरन छीनने के लिये राजस्व अभिलेखो में हेराफेरी की और फर्जी दस्तावेजात के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 माननीय न्यायालय मे एक वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा व एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेँधाज्ञा पेश किया व प्रतिवादी सं. 1 से 3 का मूल वाद दिनांक 02.01.99 को माननीय न्यायालय द्वारा अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज किया गया। प्रतिवादीगण झुठे दस्तावेजो के आधार पर वादी के अधिकार आधिपत्य की कृषि भूमि को जबरन शक्ति के बल पर छीनना चाहते हैं। और अगर प्रतिवादी सं. 1 से 3 उसमे सफल हो जाते है तो वादी को अपनी भूमि को कब्जे में

लेने के लिये मुकदमे बाजी में उलझना होगा। उक्त वर्णित कृषि भूमि को काश्तकार खातेदार काश्तकार घोषित करा राजस्व अभिलेखो में की गई हेराफेरी को दुरूस्त करा राजस्व भूमि अभिलेखो मे वादी का नाम बहेसियत खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने का आदेश प्रतिवादी सं. 4 को दिलाना फरमावे। उक्त वर्णित कृषि भूमि पर वादीगण को शांतिपुर्ण चले आ रहे उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा स्वंय उत्पन्न न करे और न ही किसी ऐजेन्ट रिश्तेदार अथवा अन्य किसी व्यक्ति से बाधा उत्पन्न नही करावे। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा का पत्र वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रदान कराये जाने की मांग की।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त कर शा0 फा0 किये गये। प्रतिवादीगण की और से जवाबदावा पेश किया गया। जिसे शामिल फाईल किया गया। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में निवेदन किया की वाद पत्र की चरण सं. 1 का उत्तर है कि वादी की आराजी नं. 861 में 3.00 बीघा भुमि आवंटन होने की बात मिथ्या होने से अस्वीकार है वादी का विवादग्रस्त स्थल पर एवं विवादित आराजी पर कोई कब्जा नही रहा हैं और न ही वर्तमान मे वादी का कब्जा है वादी ने अपने वाद पत्र में गलत तथ्य पेश किये हैं वादी को आराजी आवंटन होना व पैमुद करना लिखा व अपनी आवंटन शुदा आराजी का नं. 861/13 व 861/4 अंकित होना बताया जो राजस्व रेकार्ड से संबधी होने से बिना जानकारी जवाब देना सम्भव नही हैं वादी को विवादग्रस्त आराजी वं उक्त स्थान पर कभी भी पटवारी जामोली द्वारा पैमुद नही की गई ओर न ही वादी को कब्जा ही दिया है क्यो कि उक्त विवादग्रस्त कृषि आराजी पर प्रतिवादीगण का विकय 24 वर्षो से कय की तब से शांतिपुर्ण ढंग से कब्जा चला आ रहा हैं। वादी ने सम्पुर्ण चरण में मिथ्या तथ्यो का समावेश किया जो स्वीकार नही हो अस्वीकार है। चरण सं. 3 राजस्व रेकार्ड संबधी तथ्यों का वर्णन किया है जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबध नही हैं। चरण सं. 4 असत्य होने से अस्वीकार हैं प्रतिवादीगण ने आ. न. 861 रकबा 3.02 बीघा विकेता नाथु पिता सावता भाट नि. माताजी का खेडा से कय की है एव कय की तब से केता का बराबर कब्जा चला आ रहा हैं विकेता नाथु पिता सांवता भाट को जिस स्थान पर उसको की गई भुमि आवंटन को पटवारी जामोली द्वारा जिस स्थान पर पैमुद कर उसे कब्जा सम्भलाया गया उसी स्थान पर विकेता काबिज हो काश्त कर रहा है विकेता ने उसी आराजी एव उसी स्थान पर प्रतिवादीगण को कब्जा सम्भलाया था प्रतिवादीगण विकेता 24 वर्षो से उक्त स्थान व उक्त विवादग्रस्त आराजी पर काबिज हो शांतिपुर्ण तरीके से काश्त करते चले आ रहे है। चरण सं. 5 मिथ्या होने से अस्वीकार हैं। चरण सं. 6 राजस्व रेकार्ड से संबधित होने से बिना जानकारी देना संभव नही हैं चरण सं. 7 मिथ्या होने से अस्वीकार हैं। चरण सं. 8, 9, 10 मिथ्या होने से अस्वीकार हैं। प्रतिवादीगण उक्त विवादित स्थल व आराजी के सदभावी केता है जो विगत 24 वर्ष से निरविवाद उक्त विवादित स्थल एवं आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादीगण का विकेता नाथु पिता सांवता भाट नि. माताजी का खेडा द्वारा आ.न. 861 रकबा 3.02 बीघा को दिनांक 07.06.75 को जरिये पंजिकृत बिकाव कर कब्जा सम्भलाया था विकेता ने जिस स्थान पर आराजी पर कब्जा सम्भलाया उस स्थान पर काबिज है। इसलिये वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र वादीगण का वाद पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज किया जाना फरमावे।

वादीगण के वादपत्र एवं जवाबदावें के आधार पर वादपत्र में निम्न तनकियात कायम की गई।

1. क्या वादी का ग्राम जामोली की आ.न. 861 पर 3.00 बीघा भूमि आंवटित की गई थी। और 1976 में कब्जा दिया जाकर वादी उक्त आराजी पर अब तक निरन्तर काबिज है ?

..... जिम्मे वादीगण

उपखण्ड अधिकारी

2. क्या वादी को पैमुद कर संभलवाई गई भुमि आ.न. 861/3 व 861/4 को राजस्व अधिकारियों ने प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम अभिलेखो मे दर्ज कर दी है ?

..... जिम्मे वादीगण

3. क्या वाद ग्रस्त आराजी के प्रतिवादीगण सद्भावी केता होकर 24 वर्ष से उस पर निरन्तर काबिज है ?

..... जिम्मे प्रतिवादीगण

4. अनुतोष ?

वादीगण ने वाद पत्र की ताईद में आंवटन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श 1, आंवटन के पश्चात भूमि पैमुद कर कब्जा सिपुर्द किये जाने का दिनांक 20.06.1971 के आदेश की प्रति प्रदर्श 2 है, पटवारी हल्का जामोली द्वारा दिनांक 07.07.71 तक भूमि पैमुद कर कब्जा दिया जाने का आदेश व आदेश की पालना में पटवारी जामोली द्वारा दिनांक 16.07.76 को भुमि पर कब्जा दिया के आदेश की प्रति प्रदर्श 3 हैं, पटवारी द्वारा पैमुद शुदा भूमि का नक्शे में अमल दरामद किया जिसकी नक्शे की प्रति प्रदर्श 4 हैं, आवंटन शुदा भूमि मे पटवारी हल्का द्वारा राजस्व नक्शे में अंकन कर न. 861/13 व 861/4 मीन डाला जो भुमि का नामान्तकरण वादी के नाम खोला गया जिसकी प्रति प्रदर्श 5 है। नामान्तरकण खोले जाने के बाद भूमि का रेकार्ड में इन्द्राज नही होने से तत्कालीन तहसीलदार जहाजपुर द्वारा दिनांक 07.12.1990 को धारा 91 का नोटिस वादी को दिया गया की प्रति प्रदर्श 6 है। ग्राम फलासिया में नाथु भाट को आ.न. 861 में भुमि आवंटन आदेश की नकल प्रदर्श 7 है। नक्शे में अमल दरामद किया गया उसकी प्रति प्रदर्श 8 है। तत्कालीन पटवारी हल्का ने बिना किसी भी सक्षम अधिकारी के आदेश के आ. न. 861/6 मीन के स्थान पर 861 दर्ज कर दिये। यह दाखिला सम्वत 2039 से 2042 की जमाबन्दी की नकल प्रदर्श 9 है। पटवारी हल्का सम्वत 2044 से 2047 की जमाबन्दी मे बिना किसी सक्षम अधिकारी आदेश के आ.न. 861 के नीचे 861/4 रकबा 3.02 बीघा दर्ज कर दी। जमाबन्दी की प्रतिलिपी प्रदर्श 10 है। प्रतिवादीगण हजारी, छीतर व बालु धाकड ने नाथु भाट से जो जमीन क्रय की उसका विक्रय पत्र प्रतिवादीगण ने न्यायालय मे पेश किया विक्रय पत्र की प्रति प्रदर्श 11 है। नाथु पिता सावंता भाट की जमाबन्दी सम्वत 2032 से 2035 तक की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 12 है। नाथु पिता सावंता भाट के खाते की जमाबन्दी की नकल सम्वत 2035 से 2038 की प्रदर्श 13 है। तथा प्रतिवादीगण की और से असल विक्रय पत्र पेश किया गया है। जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन से वाद पत्र में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है।

1. इस तनकी को सिद्ध कराने की जिम्मेदारी वादीगण स्वंय की है। वादी को मिसल नं. 830/71 से दिनांक 20.06.71 को ग्राम जामोली में आ.न. 861/13 में रकबा 3.00 बीघा भुमि आवंटित की गई थी। जिसकी ताईद प्रस्तुत आवंटन आदेश प्रदर्श 1 से होती हैं। जिसमें वादी को ग्राम जामोली की आ.न. 861/13 मे रकबा 3.00 बीघा भुमि आंवटित होकर दिनांक 20.06.71 को कब्जा सुपुर्द किया गया। जिसकी ताईद प्रदर्श 2 से होती हैं। वादी को 1976 में उक्त आंवटित भुमि का कब्जा दिया गया था जिसकी ताईद प्रदर्श 3 से होती है। वादी उक्त आंवटित भुमि पर अब तक निरन्तर काबिज है। प्रदर्श 6 से होती है। जिसमें तहसीलदार जहाजपुर द्वारा उक्त भुमि पर वादी का कब्जा होने से धारा 91 के तहत दिनांक 07.12.1990 को वादी को नोटिस दिया गया। फिर उक्त भुमि वादी के आवंटन शुदा मानते हुये अतिक्रमण की कार्यवाही निरस्त कर दी। वादीगण अपने जिम्मे की तनकी को सिद्ध कराने में सफल रहा है। जिससे तनकी न0 1 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के निर्णित की जाती है।

2. इस तनकी को सिद्ध कराने की जिम्मेदारी वादीगण स्वंय की है। वादी को पैमुद कर संभलवाई गई भुमि आ. न. 831/13 व 861/4 को राजस्व अधिकारियो ने प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम अभिलेखों में दर्ज कर दी। जमाबन्दी सम्वत 2035 से 38 एवं सम्वत 2039 से 42 में रेकार्ड में 861 आ.न. ही अंकित थे। सम्वत 2044 से 47 में उक्त आ.न. 861 को 861/4 कर दिया। उसके पश्चात जमाबन्दी सम्वत 2048 से 51 में उक्त आ.न. 861/4 को 861/4ख कर दिया गया। जो जरिये शुद्वी से जमाबन्दी सम्वत 2059 से 62 में 861/4ख के बजाय 1009/861 हो गया। जिसकी ताईद प्रस्तुत रेकार्ड जमाबन्दी प्रदर्श 7, 8, 9, 10 से होती है। वादीगण अपने जिम्मे की तनकी को सिद्ध कराने में असफल रहा है। जिससे तनकी न0 2 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के निर्णित की जाती है।

3. इस तनकी को सिद्ध कराने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण स्वंय की है। वादग्रस्त आराजी के प्रतिवादीगण सदभावी केता होकर 24 वर्ष से उस पर निरन्तर काबिज है। प्रतिवादीगण उक्त भुमि पर 24 वर्षो से काबिज हो इस संबध में प्रतिवादीगण द्वारा कब्जे बाबत कोई साक्ष्य सबुत अथवा गवाह प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे प्रतिवादीणग का उक्त भुमि कब्जा दर्शाता हो। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज प्रदर्श 6 में तहसीलदार जहाजपुर द्वारा उक्त भुमि पर वादी का कब्जा होने से धारा 91 के तहत दिनांक 07.12.1990 को वादी को नोटिस दिया गया। फिर उक्त भुमि वादी के आवंटन शुदा मानते हुये अतिक्रमण की कार्यवाही निरस्त कर दी। इससे यह स्पष्ट होता है की वाद ग्रस्त भुमि पर वादी का ही कब्जा रहा है। प्रतिवादीगण अपने जिम्मे की तनकी को सिद्ध कराने में असफल रहा है। जिससे तनकी न0 3 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के निर्णित की जाती है।

अतः वादीगण ने अपने जिम्मे की तनकीयात को सिद्ध कराने में सफल रहने से न्यायालय वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम फलासिया प0 ह0 फलासिया तह0 जहाजपुर की आ0 न0 861/13 हाल न. 1009/861 रकबा 03.00 बीघा में प्रतिवादीगण के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी नम्बर में शेष रकबा 0.02 बीघा को बिलानाम सरकार किया जावे। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम —जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास — श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस

अनवान

1. श्री कुन्दल मल पिता मोखम चन्द जैन नि. फलासिया तहसील जहाजपुर (मृतक)
1/1. श्री कैलाशचन्द पिता कुन्दनमल जैन नि. फलासिया तहसील जहाजपुर
1/2. श्री पारस मल पिता कुन्दनमल जैन नि. फलासिया तहसील जहाजपुर
1/3. श्री अनिल कुमार पिता कुन्दनमल जैन नि. फलासिया तहसील जहाजपुर
1/4. श्रीमति पदम देवी पत्नि कुन्दनमल जैन नि. फलासिया तहसील जहाजपुर
1/5. श्रीमति मुन्ना देवी पुत्री कुन्दनमल जैन नि. फलासिया तहसील जहाजपुर पत्नि चिरंजी लाल जैन नि. कोठिया तहसील शाहपुरा
1/6. श्रीमति गुणमाला पुत्री कुन्दलमल जैन नि. फलासिया तहसील जहाजपुर हाल पत्नि सुनिल कुमार जैन नि. पण्डेर तहसील जहाजपुर

वादीगण.....

बनाम

1. श्री हजारी पिता कल्याण धाकड नि. भगवानपुरा तहसील जहाजपुर (मृतक)
1/1. श्री सवाईराम पिता हजारी धाकड नि. सिंहाणा तहसील जहाजपुर
1/2. श्री छीतर पिता कल्याण धाकड नि. भगवानपुरा तहसील जहाजपुर (मृतक)
2/1. श्री लाला पिता छीतर धाकड नि. भगवानपुरा तहसील जहाजपुर
3. श्री बालु पिता कल्याण धाकड नि. भगवानपुरा तहसील जहाजपुर
4. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत — 88, 89, 92ए, 188 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :— 389/2000 (61/1999)

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री अमित कुमार बिडला का मिनजानिब मुदई व श्री जगदीश चन्द धाकड का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम फलासिया प0 ह0 फलासिया तह0 जहाजपुर की आ0 न0 861/13 हाल न. 1009/861 रकबा 03.00 बीघा में प्रतिवादीगण के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी नम्बर में शेष रकबा 0.02 बीघा को बिलानाम सरकार किया जावे। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना—2 वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.12.2019

मुहर

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2019.12.18 14:47:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: